बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 55/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को बकाया अंतर वेतन मद में 20 करोड़ का अनियमित भुगतान का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2013–14

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विभाग (उच्च शिक्षा) बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. डा0 राम प्रपन्न शर्मा प्रभारी कुलपति दि0– 22.3.13 से 16.4.13
2. रिक्त –दि0 17.4.13 से 26.4.13
3. डा0 उपेन्द्र झा, प्रभारी – दि0 27.4.13 से 31.7.13

4. डा0 रामचन्द्र झा– दि0 1.8.13 से 1.2.2014

5. डा0 देव नारायण झा कुलपति – दि0 2.2.2014 से अद्यतन।

6. डा0 सुधीर कुमार चौधरी कुल सचिव दि0– 20.2.10 से अद्यतन्

(ड़) अंकेक्षित अविध के लेखा के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम :–

1. श्री केदार प्रसाद सिंह लेखा पदाधिकारी दि0 31.8.10 से अद्यतन।

2. श्री नन्ददेव मिश्र प्रधान सहायक दि0– 2011 से 28.6.13

3. श्री विधुशेखर झा प्र0 स0 – दि0 29.6.13 से 31.3.14

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम –

1. श्री विनय मिश्र, सहायक
2. श्री कुन्दन भारद्वाज, सहायक
3. श्री सुदामा दास, सहायक
4. श्री रणजीत झा, सहायक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम –

1. श्री हरि नारायण साह दल नेता , व0 अं0– 1

2. श्री राम गुलाम ताँती ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 12.5.2014 / पुनः 8.8.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 02.9.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 34 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

इस विश्व विद्यालय अन्तर्गत 61 सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया अंतर वेतन मद में भुगतान की गई राशि का विशेष अंकेक्षण, आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 34 दिनांक 7.3.2014 द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में उठाई गई बिन्दुओं तथा अभिषद् के निर्णय सं0 – 01 के आलोक में वि0 वि0 पत्रांक 5627 / 13 एवं अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध अभिलेख / कागजात, परिपत्र, के आधार पर विशेष अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया। इस विश्व विद्यालय अर्न्तगत अंगीभूत / सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मीयों के बकाया अन्तर वेतन भुगतान हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 848 दि0 24.4.2013 तथा पत्रांक 52 दि0 31.10.2013 द्वारा क्रमशः 257929647.00 तथा रू0 124871640 कुल राशि 382801287.00 उपलब्ध करायी गई थी जिसका भुगतान कर्मियों को सीधे बैंक के माध्यम से करने की प्रक्रिया के तहद की गयी थी अतएव कोषगार सत्यापन का प्रश्न ही नही था। इस लेखा के पूर्व का महालेखाकार / वित्त विभाग का

अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं किया गया फलतः अनुपालन की स्थिति की समीक्षा नहीं किया जा सका।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

इस विश्व विद्यालय के अन्तर्गत अंगीभूत/संम्बद्ध महा0 के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियमित वेतन, बकाया अन्तर वेतन, मद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना से भुगतान हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान से अधिक राशि का व्यय नहीं किया गया था। जो वार्षिक आय–व्यय विवरणी परिशिष्ट "क" पर अंकित किया गया हैं।

इस विश्व विद्यालय के अन्तर्गत अंगीभूत/सम्बद्ध महा0 के सरकार द्वारा स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों के बारे में मौखिक रूप से बताया गया कि अंगीभूत महा0 में कुल 319 पद के विरूद्ध 152 तथा सम्बद्ध महाविद्यालय में 310 पद के विरूद्ध 268 शिक्षक ही कार्यरत हैं। तथा मुख्यालय में कर्मियों को मात्र 167 स्वीकृत पद बतलाया गया जिसके अर्न्तगत कौन–कौन से चिन्हित कर्मी कार्यरत है स्पष्ट सूचना नहीं दिया गया। साथ ही सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय के लिए 02–02 सृजित पद अर्थात् स्वीकृत 10 पद की जानकारी दिया गया दि0– 1.4.13 एवं 31.3.14 के रोकड़ पुस्त का संवंरण शेष निम्न प्रकार पाया गया।

दि0– 1.4.2013 – 115741327.00

दि0– 31.3.2014– 113258769.00

इस प्रकार दि0– 31.3.2014 को रोकड़ पुस्त में 113258769 के विरूद्ध बैंक विवरणी में 167414474 दशार्या गया था जो रोकड़ पुस्त में अंकित राशि से अधिक पायी गई।

भौतिक सत्यापन रोकड़ पुस्त में संवरण शेष नगद राशि की स्थिति :– वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक 503 दि0 27.1.76 के अनुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0 – 12.5.2014 के सामान्य रोकड़ पुस्त बकाया से संबंधित के नगद राशि का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया क्योकि बैंक से सीधे तौर चेक निर्गत कर राशि की निकासी किये जाने का प्रावधान था। परन्तु दि0 15.5.2014 को रोकड़ पुस्त बकाया मद में कुल राशि 95696425 संवरण शेष के रूप में पाया गया।

इस विश्व विद्यालय के दि0 12.5.2014 को भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में बैंक में, सूद के रूप में, तथा कर्मियों को अग्रिम के रूप में दी गई राशि, कितनी थी स्पष्ट नहीं हो पार्या इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान वास्तविकता की जाँच एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।

भाग–2

कंडिका सं0 –4– विभिन्न महा0 के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को गलत महँगाई भत्ता गणना के कारण कुल रूपयें 2116.00 वसूली योग्य :–

(क) वर्ष 2013–14 के बकाया वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए बकाया विपत्र की गणना में दि0 1.1.09 से 30.6.09 की अवधि में 114 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की गणन किया गया था जो उक्त अवधि में 113 प्रतिशत होना चाहिए था। पंचम वेतनमान के भुगतान क्रम में गणना कम प्रतिशत पर किये जाने के कारण कुल रूपयें 2116.00 विभिन्न कर्मियों को अनियमित

भुगतान कर दिया गया। इस आशय का विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर अंकित किया गया है के अनुसार मँहगाई भत्ता में अधिक भुगतान की कुल राशि 2116.00 जो विवरणी के कालम–08 पर अंकित की गई है संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूली कर विश्व विद्यालय बकाया खाता में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करा दिया जाय।

(ख) महँगाई भत्ता के रूप में अधिक भुगतान राशि 8492.00 का वसूली/समंजन किया जाना :–

इस प्रतिवेदन के उपरोक्त परिशिष्ट "ख" के कालम–09 में दर्शायी गई राशि 8492.00 वसूली/संमंजन हेतु अंकित किया गया। सम्प्रति गणना कर विपत्र की भुगतान होने वाली राशि का 20 प्रतिशत को ही भुगतान किया गया है शेष अधिक भुगतान की राशि 8492.00 भुगतान हेतु अवशेष है जो राज्य सकरार/यू0 जी0 सी0 से अनुदान प्राप्त होने पर करना हैं।

अतएव अंकेक्षण का सुझाव है कि शेष 80 प्रतिशत की कुल राशि 8492.00 (जो भुगतान योग्य नहीं है) का संमंजन विभिन्न कर्मियों से एक मुश्त कर लेने की कार्रवाई किया जाय तथा इस राशि के संमंजन/वसूली की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दिया जाना सूनिश्चित किया जाय।

कंडिका –5 महाविद्यालय के विभिन्न कर्मियों को अनुमान्य दर से अधिक दर पर चिकित्सा भत्ता की भुगतान की गई राशि 43200 वसूली योग्य :–

वर्ष 2013–2014 के बकाया अन्तर वेतन से संबंधित वेतन भुगतान पंजी एवं अन्य कागजात के साथ जाँच करने पर यह पाया कि महाविद्यालय के विभिन्न कर्मियों को

विभिन्न अवधि के लिए चिकित्सा भत्ता के रूप में अनुमान्य दर से अधिक दर पर कुल राशि 43200 का भुगतान किया गया। विदित हो कि वित्त विभाग के पत्रांक/संकल्प सं0 3ए–2 वे पु0 (चि0 भ0) 21/20/2009–12 357 दि0 31.12.2009 के अनुसार 1.1.10 के पूर्व की अवधि लिए मात्र 100.00 ही भुगतान योग्य था तथा 1.1.2010 से आगे की अवधि के लिए 100.00 से बढ़ाकर 200 प्रतिमाह अनुमान्य किया गया था जो जनवरी 2010 से प्रभावी था। परन्तु जनवरी 2010 के पूर्व की अवधि के लिए भी 200 रू0 की दर से भुगतान किया गया जो नियम के विपरीत हैं। इस प्रकार विभिन्न कर्मियों को चिकित्सा भत्ता मद में अनुमान्य दर से अधिक दर पर भुगतान के कारण कुल राशि 43200.00 की वसूली संबंधित दोषी व्यक्तियों से कर विश्व विद्यालय खाता में जमा कर दी जाय। वसूल करने वाली राशि की विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर संलग्न की गई हैं। वसूली गई राशि की स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका –6 महाविद्यालय के शिक्षकों को अनुमान्य दर से अधिक राशि मकान भत्ता के रूप में कुल राशि 2540.00 वसूली योग्य :–

(क) वर्ष 2013–14 के बकाया वेतन भुगतान की जाँच क्रम में पाया गया कि संस्कृत महा0 शोकहारा के विभिन्न शिक्षकों को बकाया अन्तर वेतन दि0 1.1.10 से 31.3.10 तक के भुगतान क्रम में पंचम वेतन मान की अवधि में मात्र 5 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता के रूप में भुगतान किया गया था जो वित्त विभाग के परिपत्र सं0 660/दि0 8.2.99 के अनुरूप अवर्गीकृत स्थानों के लिए अनुमान्य था। नियम में संशोधन के उपरान्त अवर्गीकृत स्थान के लिए 5 प्रतिशत की स्थान पर 7.5 प्रतिशत वित्त विभाग के परिपत्र सं0 12372/31.12.09 जो 1.1.2010 से प्रभावी था की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था

परन्तु उक्त शिक्षकों को 10 प्रतिशत की दर से कर दिया गया जो नियमानुसार नहीं था। इस प्रकार अधिक भुगतान की राशि 2540.00 जिसकी विवरणी परिशिष्ट "घ" पर अंकित है संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर विश्व विद्यालय खाता में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(ख) मकान भाड़ा के रूप में अधिक भुगतान राशि 10,160.00 वसूली/संमंजन योग्य :–

इस प्रतिवेदन की विवरणी परिशिष्ट "घ" के कालम 09पर दर्शायी गई राशि उक्त शिक्षकों का विपत्र के माध्यम में कुल अधिक भुगतान राशि 12700 का मात्र 20 प्रतिशत की राशि 2540 की वसूली हेतु वर्णित है जिसका भुगतान किया जा चुका था। शेष 10160.00 का भुगतान नहीं किया गया तथा भुगतान हेतु विपत्र लंबित है जिसे राज्य सरकार/यू0 जी0 सी0 से मिलने वाली अनुदान से भुगतान करना हैं।

अतएव अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में भुगतान होने वाली शेष 80 प्रतिशत की राशि रू0 10160.00 की एक मुश्त संमंजन कर लिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(7) महाविद्यालय कमियों को अनुमान्य दर से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण महँगाई भत्ता के रूप कम गणना के कारण कुल राशि 714.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2013–14 के बकाया से संबंधित वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि महा0 के विभिन्न कर्मियों को दि0 1.1.2014 को महँगाई भत्ता का निर्धारित 61 प्रतिशत से अधिक दर 62 प्रतिशत पर विपत्र में गणना किया गया था जिसके कारण विपत्र की राशि के बकाया विपत्र के भुगतान क्रम में अधिक राशि भुगतान कर दिया गया। विदित हो कि विपत्र की अवधि में दाबा राशि में महँगाई का प्रतिशत सही गणना था परन्तु पूर्व में

भुगतान अवधि के लिए 61 प्रतिशत की जगह 62 प्रतिशत पर गणना किया गया था। फलतः अधिक राशि का भुगतान हो गया था। इस प्रकार विपत्र में महँगाई भत्ता की गणना में भूल के कारण कुल रूपये 714.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर विश्व विद्यालय खाता में जमा कर दिया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाय। विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार हैं।

क्र0 सं0	भुगतान पंजी पृ0 सं0	कर्मी का नाम एवं मूल वेतन	महा वि0 का नाम	1.1.04 भुगतान राशि 62 प्रतिशत	अनुमान्य 61 प्रतिशत	अन्तर राशि/तिथि
1	27	श्री शिव कुमार सिंह 5500	से मिहा0 हाजीपुर	3410X6 =20460	20130	330.00 11.12.13
2	27	श्री राम कुमार झा 3200	"	11904.00	11712	192 11.12.13
3	27	श्री बालदेव सिंह 3200	"	11904.00	11712	192 11.12.13
					कुल –	714.00

इस प्रकार अधिक भुगतान की राशि संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूली कर विश्व विद्यालय बकाया खाता में जमा कर दिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

(8) महाविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मी को अनुमान्य दर से अधिक दर पर शहरी परिवहन भत्ता का भुगतान किये जाने के कारण कुल राशि 6240.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2013–14 के वेतन भुगतान पंजी बकाया अन्तर वेतन से संबंधित एवं अन्य कागजात के साथ जाँच क्रम में पाया गया कि महा0 के शिक्षकेत्तर कर्मी श्री नागेश नन्दन राय लिपिक, से महाविद्यालय तरेतपाली पटना को दि0 जनवरी 2010 के पूर्व की अवधि के लिए परिवहन भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता के रूप में क्रमशः 75+16= 91.00 की दर से ही भुगतान करना था परन्तु श्री राम को 400.00 प्रतिमाह की दर से जनवरी 2010 से पूर्व की अवधि के लिए भुगतान किया पाया गया। विदित हो कि शहरी परिवहन भत्ता में संशोधित दर जनवरी 2010 से प्रभावी था जो वित्त विभाग के परिपत्र संकल्प सं0 3'ए' –2 पे0 पु0 (परि0 भत्ता) 22/2009–12414 दि0 31.12.09 से स्पष्ट हो जाता है, निर्गत परिपत्र के अनुसार परिवहन भत्ता एवं नगर क्षति पूर्ति भत्ता को एकीकरण कर विभिन्न वेतनमान के लिए विभिन्न दर अनुमान्य किया जाता है, इस प्रकार श्री राम को जनवरी 2010 के पूर्व की अवधि के लिए अनुमान्य दर से अधिक भुगतान की राशि 6240.00 को वसूली संबंधित दोषो व्यक्ति से कर की जाय जिसका विस्तृत विवरण निम्न लिखित हैं।

क्र0 सं0	भुगतान पंजी का पृ0 सं0	कर्मी का नाम एवं वेतनमान	भुगतान की गई परिभत्ता	सही भुगतान	अन्तर राशि

1	66	श्री नागेश नन्दन राय लिपिक वेतनमान् 4000 से 6000	400X24 माह 9600.00	140X24 = 3360.00	6240.00

अवधि – भुगतान तिथि एवं विपत्र की राशि

1.1.08 से 31.12.09 24.5.13/123948.00

इस प्रकार संबंधित दोषी व्यक्ति से अधिक भुगतान की राशि वसूल कर विश्व विद्यालय खाता में जमा किया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(9) कुल रूपयें 35718.00 मकान भाड़ा भत्ता के रूप में अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य :– विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न संम्बद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया अन्तर वेतन भुगतान से संबंधित वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया कि महा0 के कर्मियों को अनुमान्य दर से अधिक दर पर मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान किया गया था। विदित हो कि संबंधित कमियों को पंचम वेतनमान में विभिन्न अवधि के 5 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान किया गया था जो सरकार के पत्रांक 4470/ दि0 16.8.91 के अनुसार अवर्गीकृत स्थानों के लिए 5 प्रतिशत की दर अनुमान्य था जिसका संशोधन वित्त विभाग के पत्रांक 12372/दि0 31.12.09 के द्वारा अवर्गीकृत स्थानों के लिए 5 प्रतिशत की जगह पर 7.5 प्रतिशत ही अनुमान्य किया

गया है परन्तु उक्त स्थानों के लिए 10 प्रतिशत की दर से भुगतान किया पाया गया जो इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड़'' से स्पष्ट हो जाता हैं।

इस प्रकार अनुमान्य दर से अधिक दर पर मकान भाड़ा भत्ता भुगतान की राशि 35718.00 दोषी व्यक्तियों से वसूल कर विश्व विद्यालय खाता में जमा कर दिया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत करायी जाय।

(10) मकान भाड़ा भत्ता के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि 41532.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2013–14 के वेतन भुगतान में चिपकाये गये विपत्रों की जाँच क्रम में पाया गया कि महाविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों को दि0 1.4.10 से 31.7.10 तक ही अवधि के लिए पंचम वेतनमान् के नियमित वेतन भुगतान क्रम में 5 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान किया गया था जो परिशिष्ट 'च' के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं। अनुमान्य दर वित्त विभाग के ज्ञापांक 4470 दि0 16.8.1991 के अनुसार अवर्गीकृत स्थानों के लिए ही अनुमान्य किया गया था। जिसका संशोधन वित्त विभाग के पत्रांक 12372 दि0 31.12.09 निर्गत किया गया है जो दि0 1.1.2010 से प्रभावी है के अनुसार अवर्गीकृत स्थानों के लिए 5 प्रतिशत के स्थान पर 7.5 प्रतिशत ही अनुमान्य किया गया था। परन्तु इन शिक्षकों को 10 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान किया पाया गया। अंकेक्षण में निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

इस प्रकार मकान भाड़ा के रूप में इन शिक्षकों को अधिक भुगतान की राशि 41532.00 वसूल कर विश्व विद्यालय खाता में जमा कर दी जाय अथवा नियमित वेतन से संमंजन कर ली जाय इस संबंध में विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर

दर्शाया गया है। वसूली अथवा संमंजन की कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत करायी जाय।

(11) वित्तीय वर्ष समापन की अवधि में चेक से भुगतान राशि 153956.00 का अनियमित भुगतान आपत्तिजनक :–

वर्ष 2013–14 के बकाया मद से संबंधित रोकड़ पुस्त के दिनांक 1.4.2013 का संवरण शेष की राशि 115741327.19 का विस्तृत विवरणी की जानकारी के क्रम में पाया गया कि उक्त तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की के0 डी0 एस यू0 शाखा में बकाया एवं अन्य मदों की राशि बचत खाता सं0 – 10407708257 में कुल राशि 116929467.19 पाया गया। जो रोकड़ पुस्त में दशार्यी गई संवरण शेष की राशि से 1188140.00 अधिक था। परन्तु विश्व विद्यालय द्वारा चेक निर्गत किया गया था। परन्तु उक्त तिथि तक बैंक से नहीं भुनाया गया था जिसके कारण यह स्थिति थी। चेक से निर्गत परन्तु दि0 – 31.3.13 तक नहीं भुनायी गई राशि 248965+646305+205030000+153956 (15.3.13+124500)=1205776.00 पाया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन नहीं लौटाया गया।

इस प्रकार उक्त तिथि को बैंक की अवशेष राशि 116929247.19 में 1205776 घटा लेने के बाद 115723691.00 रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में होना चाहिए था। परन्तु रोकड़ पुस्त में 115741327.19 पाया गया। अर्थात् 17226.00 रोकड़ पुस्त में विस्तृत विवरणी करने के बाद अधिक पाया। तत्पश्चात् दि0 13.3.2013 को चेक से 153956.00 का चेक निर्गत कर दिया। जब रोकड़ पुस्त में मात्र 17226.00 ही था तो कुल रूपये 153956.00 का चेक निर्गत करना अनियमिता का धोतक हैं।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि संवरण शेष की राशि उपलब्ध रहने पर भविष्य में चेक निर्गत किया जाय तब तक कुल रूपयें 153956.00 का अनियमित भुगतान नियमित होने तक आपत्तिन्तर्गत रखी जाती हैं।

(12) महाविद्यालय कर्मियों को शहरी परिवहन भत्ता के रूप में भुगतान राशि 26200.00 आपत्तिन्तर्गत :—

वर्ष 2013—14 के बकाया वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि राज्य के B2 शहर पटना में पदस्थापित कर्मीयों के लिए परिवहन भत्ता एवं नगर क्षति पूर्त्ति भत्ता का एकीकरण शहरी परिवहन भत्ता का विभिन्न दर विभिन्न वेतनमान वाले कर्मियों के अनुमान्यता इस शर्त्त के साथ किया गया था कि जिन कर्मियों वरीय पदाधिकारी के पास विभाग/संस्थान द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी गयी है उन्हें परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। इस तरह निबंधित गाड़ी के उपलब्धता का प्रमाण पत्र सक्षम पदा0 द्वारा सत्यापित होगें जो वस्तुतः निबंधित गाड़ी का परिचालन संबंधित कर्मियों को द्वारा किया जाता हैं। परन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र न तो विपत्र पर अंकित पाया गया था अलग से कोई संचिका भी अंकेक्षण में नहीं उपलब्ध कराया गया । जिससे यह स्पष्ट हो कि इन्हें संस्थान द्वारा गाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। इस प्रकार महाविद्यालय के विभिन्न कर्मियों के लिए दि0 1.1.2010 से 31.7.10 तक की अवधि में भुगतान की गई शहरी परिवहन भत्ता के रूप में कुल राशि 26200.00 भुगतान की राशि वित्त विभाग के परिपत्र/संकल्प सं0— 3ए — 02 वे पु0 (परि0 भत्ता) 22/2009—12414 दि0 31.12.09 के अनुसार आदेश के प्रतिकूल हैं। भुगतान की गई राशि 26200 का पूर्ण विवरणी इस प्रतिवेदन की परिशिष्ट "छ" पर अंकित

की गई जब तक भुगतान की गई राशि की शर्त्त का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक के लिए भुगतान की गई राशि आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है, भुगतान अवधि में निबंधित गाड़ी की उपलब्धिता थी की नहीं इसकी सत्यापन कर कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

(13) रू0 18919031.00 बकाया वेतनादि मद में न्यायालय द्वारा भुगतान स्थगत आदेश के वाबजूद भी स्नात्तकोत्तर शिक्षकों को अनियमित भुगतान किया जाना आपत्तिर्न्गत :–

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय दरभंगा अन्तर्गत स्नाकोत्तर विभाग में कार्यरत शिक्षकों के षष्ठम् पुनरीक्षित वेतनमान के प्रस्तुत बकाया वेतनादि से संबंधित संचिका एवं भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि कुल 11 स्नातकोत्तर शिक्षकों को बकाया वेतनादि के रूप में 18919031.00 का भुगतान दि0 29.11.2013 एवं 4.12.2013 को विभिन्न चेक के माध्यम से किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट "ज" पर संलग्न किया गया हैं। प्रस्तुत संचिका में संलग्न कागजात एवं परिपत्र के अनुसार उपरोक्त सभी शिक्षक राज्य सरकार के पत्रांक 5859/96 दि0 – 11.2.2000 में प्रभावित थे तथा वि0 वि0 के पत्रांक 2406 दि0 3.4.13 एवं राज्य सरकार के पत्रांक 2086 दि0 9.11.2013 के आदेशानुसार यह निर्णय लिया गया था कि बकाया अर्न्तवेतनादि का भुगतान न्यायालय के उचित निर्णय आने तक स्थगित रखा जाय यह मामला (Sub Judic) है जो न्यायालय द्वारा स्थगन था। विदित हो कि संचिका के टि0 प्र0 स0 38 पर कुल सचिव के द्वारा भी टिप्पणी किया गया था कि उक्त बकाया वेतनादि का भुगतान न्यायालय के निर्णय के अनुकुल हीं किया जायगा साथ ही इस संबंध में महाअधिवक्ता पटना से ही राय ले लिया

जाय, इस संबंध में तत्कालीन अंकेक्षण द्वारा भी पत्रांक 136 दि0 12.6.13 के द्वारा न्यायालय के उचित निर्णय आने तक भुगतान स्थगित करने का पत्र निर्गत किया गया था। साथ संलग्न बकाया वेतनादि विपत्र की राशि को भुगतान हेतु अनुशंसा भी नहीं किया गया था सिर्फ जाँच कर दी गई थी। फिर भी तत्कालीन कुलपति का0 सि0 द0 से विश्व विद्यालय दरभंगा द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश, कुल सचिव द्वारा भी भुगतान स्थगित रखने का टिप्पणी एवं सुझाव तथा अंकेक्षण द्वारा भुगतान स्थगित रखने का आपत्ति निर्गत करने के बावजूद उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना एवं उलंघन करते हुए दि0 29.11.2013 को संचिका पर बकाया वेतनादि की राशि 18919031.00 भुगतान आदेश दिया गया तत्पश्चात् आदेश का कार्यान्वित किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर आपत्ति नहीं लौटाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त आदेश एवं टिप्पणी के खिलाफ स्वतः एकतरफा निर्णय लेकर भुगतान आदेश देना घोर वित्तीय अनियमिता का घोतक एवं आपत्तिजनक हैं।

अतएव इस प्रकार के निर्णय पर मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना का ध्यान आकृष्ट किया जाता है इस प्रकार के भुगतान पर उचित कारवाई किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत करायी जाय। तत्काल उक्त भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

(14) रू0 10777768.00 संबंध महाविद्यालय के शिक्षकों के बकाया वेतनादि का विश्व विद्यालय द्वारा सेवा का अन्र्त्तलीनिकारण बिहार कॉलेज सेवा नियमितिकरण/स्थाईकरण/स्पष्टिकरण एवं शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना आपत्तिन्तर्गत :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश पत्र के साथ संलग्न आरोप पत्र में 29 संम्बद्ध महाविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों की सेवा महा महिम द्वारा अर्न्तलीनीकरण नहीं किये जाने के कारण बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना से नियमितिकरण/स्थाईकरण का सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण तथा नियुक्ति हेतु आयोग की अनुशंसा नहीं प्राप्त किये जाने के कारण इन शिक्षकों का जून 2011 से अध्यत्न तक वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया हैं।

शिक्षकों की सेवा से संबंधित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सभी शिक्षक प्रावधानित प्रक्रिया अर्न्तगत दि0 28.2.82 के पूर्व से नियुक्ति/योगदान कर अपने–अपने महाविद्यालय में कार्यरत है लेकिन विश्व विद्यालय प्रशासन की शिथिलता एवं उदासीनता एवं लापरवाही के कारण इन शिक्षकों का स्थाईकरण /नियमिति करण/सम्पुष्टिकरण बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना द्वारा नियुक्ति तिथि से वर्ष 1996 तक सहमति नहीं कराया गया। क्योंकि कॉलेज सेवा आयोग का अस्तित्व वर्ष 1996 में समाप्त हो चुका था तथा सेवा का अर्न्तलीनीकरण उच्चन्यालय पटना के LPA.909/2000 के आदेश से समाप्त हो जाने के कारण 2000 तक नहीं हो पाया। इसके वाबजूद भी परिनियम में संशोधन के उपरान्त 2008 तक महाविद्यालय चयन समिति अस्तित्व में था फिर भी इन शिक्षकों की सेवा का स्थाईकरण/नियमितिकरण/सम्पुष्टिकरण की अनुशंसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि विश्व विद्यालय द्वारा तैयार बजट वर्ष 2011–12 तथ्यों को छिपाकर स्थाईकरण/नियमित करण/सम्पुष्टिकरण कॉलम में संख्या अंकित कर शिक्षा विभाग में

बजट प्रस्तुत कर दिया गया जिसके कारण शिक्षा विभाग द्वारा वेतन अनुदान माह जून 2011 से विमुक्त नहीं किया गया जो आज तक लंबित हैं।

ऐसी परिस्थिति में इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति की संमभावना को देखते हुए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा पत्रांक 898 दि0 3.5.2013 के द्वारा आदेश दिया गया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति पर परिनियमानुसार वर्त्तमान में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सेवा सम्पुष्टि सक्षम प्राधिकार से किया जाय। इस आदेश के आलोक में दि0 1. 11.2013 दिवसीय अभिरूद्ध की बैठक में प्रस्ताव सं0 –05 (ii) में पारित कर विश्व विद्यालय के पत्रांक 6202 दि0 27.11.2013 के द्वारा अनुमोदित करते हुए बकाया अन्तर राशि सष्ठम् वेतनमान में 10777768.00 भुगतान आदेश के तहत् विभिन्न चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''झ'' पर दर्शाया गया हैं।

अतएव कुल रूपयें 10777768.00 भुगतान पूर्व शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त करना चाहिए था तथा उक्त शिक्षकों को सेवा का स्थाईकरण/नियमिति करण/सम्पुष्टिकरण पर सहमति प्रदान करने हेतु अलग से सूची प्रेषित करना चाहिए था।

इस प्रकार शिक्षा विभाग से अधिनियम/परिनियम के आलोक में सहमति/अनुमति प्राप्त होने तक कुल भुगतान राशि 10777768.00 आपत्तिन्तर्गत रखी जाती हैं। विपरित परिस्थिति में तदनुसार कारवाई (वसूली सहित) अपेक्षित होगी।

(15) सम्बद्ध महाविद्यालय के अस्थाई/कॉलेज सेवा आयोग से अनुशंथित शिक्षकों को कुल रूपयें 3699825.00 का अनियमित भुगतान आपत्तिन्तर्गत :–

(क) विभागीय पत्रांक 34/दि0 7.3.14 के साथ आरोप पत्र एवं अभिषद के दि0 1.11.2013 के बैठक के निर्णय के प्रस्ताव 05 (iii) के अनुसार इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ञ" पर संलग्न सूची के अनुसार क्र0 सं0 4 से 09 एवं 11से 15 तथा 18 पर शिक्षकों में से सिर्फ 18 पर अंकित शिक्षक श्री अर्जुन गिरि से महा0 विद्यालय बोधगया के शिक्षक ही विधिवत् रूप से नियुक्त होकर तथा वि0 वि0 के पत्रांक 8958/25.8.10 द्वारा दि0 23.6.76 से स्थाई/सम्पुष्ट/नियमित है परन्तु उपरोक्त शेष क्रमांकित शिक्षकों को चयन समिति की स्थाईकरण/नियमित करण/सम्पुष्टि करण की अनुशंसा पर एक दिवसीय अभिषद की बैठक दि0 1.11.2013 के प्रस्ताव 05(iii) के अनुसार निर्णय लिया गया, परन्तु विश्व विद्यालय से अनुमोदन हेतु प्रक्रिया अध्यत् लंबित हैं। परन्तु इन शिक्षकों बकाया मद में कुल रू0 3699825 का भुगतान कर दिया गया जो अनियमित इस प्रकार भुगतान की गई राशि स्थाईकरण/नियमित करण सम्पुष्टि करण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आपत्तिन्तर्गत रखी जाती हैं।

(ख) संस्कृत महाविद्यालय वैरगनियों सीतामढ़ी के शिक्षक महानन्द ठाकुर तथा से महा0 गजहारा के शिक्षक श्री सचिदानन्द झा एवं अन्य –03 जो परिशिष्ट "ञ" के क्र0 सं0 04 से 08 पर अंकित है को विश्व विद्यालय से स्थाईकरण/नियमित करण/सम्पुष्टिकरण की प्रक्रिया चल रही है, परन्तु चयन समिति की अनुशंसा पर कॉलेज सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई तथा महाविद्यालय में कार्यरत है और नियमित वेतन तथा बकाया अन्र्तवेतन का भुगतान किया गया। इस बिन्दु पर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी का

ध्यान आकृष्ट किया जाता है, वस्तु स्थिति से वित्त अंकेक्षण विभाग को अवगत करायी जाय।

(ग) इस कंडिका के परिशिष्ट के अनुसार क्र0 सं0 1 से 03 तक में अंकित शिक्षक श्री वैधनाथ भिन्न भास्कर, कामेश्वर पाण्डेय, एवं श्री रामानुजचर्या के संबंध में नियुक्ति एवं अहर्त्ता से संबंधित कागजात जाँच हेतु अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं कराया गया। इस संबंध में यह बतलाया गया कि इन शिक्षकों को आजतक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया हैं। तथा क्रमांक 10 पर अंकित शिक्षक श्री शुभचन्द्र मिश्रा की अहर्त्ता की जाँच कर अंकित कर दिया गया परन्तु अभिषद के प्रस्ताव 05(iii) के अनुरूप लिये गये निर्णय के आलोक में विश्व विद्यालय स्तर पर स्थाई करण/सम्पुष्टि करण/नियमित करण की प्रक्रिया चल रही हैं।

(घ) पशिष्ट के सूची के क्र0 सं0 19 एवं 20 पर अंकित श्री मती अनिता कुमारी एंव श्री धनश्याम प्रसाद जो वित्त रहित महाविद्यालय एक हरि मधुबनी में कार्यरत है जिनकी नियुक्ति क्रमशः दि0 16.8.2000 तथा दि0 17.8.2000 तथा अनुमान्य अहर्त्ता की जाँच कर लिया गया है, इन शिक्षकों कों अध्यत्न किसी प्रकार की राशि का भुगतान अधयतन् नहीं किया गया है क्योकि ये सभी शिक्षक वित्त रहित महाविद्यालय के हैं। ये शिक्षक महाविद्यालय चयन समिति से अनुशंसित के उपरान्त दि0 1.11.2013 दिवसीय बैठक के निर्णय प्रस्ताव –05(iii) के अनुसार स्थाईकरण/सम्पुष्टिकरण/नियमित करण की प्रक्रिया अदयत्न लंबित हैं।

(16) संबंद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को अभिषद के निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा असृजित पद को समायोजित करते हुए सृजित पद पर नियुक्ति एवं अहर्त्ता की सम्पुष्टि :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना के पत्रांक– 34 दि0 7.3.2014 में संलग्न आरोप पत्र एवं दि0 3.10.2013 दिवसीय अभिषद के निर्णय के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 5627/13 दि0 26.10.2013 के माध्यम से संबंद्ध महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षकों को नियुक्ति के समय असृजित पद पर नियुक्ति करने एवं नियुक्ति के समय अहर्त्ता का अभाव का आरोप लगाया गया था जो निम्नवत् है :–

क्र0	नाम	योगदान तिथि	चयन समिति से स्थाईकरण तिथि	शासी नि0 द्वारा स्थाईकरण	वि0 वि0 द्वारा सम्पुष्टि तिथि	अहर्त्ता
1	श्रीमती शीला कुमारी सा0 प्रा0 संमहा0 संकटयोचन	1.4.81	17.1.82	17.1.82	17.1.82 पत्रांक 7956/10 17.8.10	NAसाहित्य 49.1 प्रतिशत
2	श्री नरेन्द्र नारायण झा साहित्य प्रा0 सं0 महा0 संकटमोचन	"	1.4.81	1.4.81	1.4.81	NAसाहित्य 47.0 प्रतिशत

3	श्री गुलाब चन्द्र मि0 सं0 महा0 महरैल सा0 प्रा0	3.6.81 24.11.78	–	–	पत्रांक 6080/13 दि0–20.11.13 द्वारा	MA-1979-40% 1991–51 प्रतिशत

इस शिक्षकों को अहर्त्ता से संबंधित विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 57A के अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता (28.2.82 के पूर्व के लिए) न्यून्तम 45प्रतिशत अनिवार्य किया गया था। साथ ही सचिव बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पत्रांक 1893 दि0 14.12.79 के बिन्दु "ख" के अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत का उल्लेख किया गया हैं।

तत्तपश्चात् दि0 3.10.2013 दिवसीय अभिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त शिक्षकों को विश्व विद्यालय पत्रांक 6202 दि0 27.11.2013 एवं 6067/13 दि0 20.11.13 द्वारा सेवा का स्थाईकरण/सम्पुष्टि करण/नियमित करण करते हुए बकाया अर्न्तवेतन का भुगतान षष्ठम् वेतनाम में कर दिया गया। संबंधित महा0 के शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थापित किया गया एवं सही पाया। निर्गत आपत्ति का कोई जबाव नहीं दिया गया।

पुनः शिक्षा विभाग बिहार, पटना के आदेशानुसार महाविद्यालय चयन समिति की बैठक दि0 26.3.2013 को की गई जिसमें प्रस्ताव सं0 – 01 एवं 02 क्रमश डा0 शीला कुमारी, नरेन्द्र नारायण मिश्र को साहित्य को स्वीकृत पद पर दि0 28.2.82 से पूर्व नियुक्ति

एवं अनुमोदन का निर्णय के साथ ही सेवा ही सेवा की स्थाईकरण/नियमितकरण /सम्पुष्टि करण के लिए अनुशंसा की गई थी तत्पश्चात् विश्व विद्यालय के पत्रांक 7956/10 दि0 17.8.10 एवं 6067/13 दि0 27.11.2013 के प्रस्ताव सं0 –05 के आलोक में इनकी सेवा को स्थाईकरण/नियमित करण/सम्पुष्टि करण किया गया।

इस प्रकार इन सारी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इनकी नियुक्ति एंव स्थाईकरण, नियमितकरण/सम्पुष्टिकरण प्रावधानिक नियमानुसार किया गया है, अतएव आरोप सही प्रतीत नहीं होता हैं।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम

(1) कुमारी हेमा सिंह व0 अं0 –2

(2)

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त बकाया – 02 अदद्
2. भुगतान अभिश्रव रक्षी संचिका – 04 अदद्
3. वेतन भुगतान पंजी –07 अदद्
4. शिक्षकों की रक्षी संचिका कालेजवार –62 अदद्
5. अन्य व्यक्तिगत संचिका– 20 अदद्
6. 29+22=51 सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों का नियुक्ति संबोधित कागजात एवं मूल प्रमाण पत्र।
7. चेक निर्गत स्लीप
8. बैंक पास बुक– 01 अदद्
9. आवंटन पंजी।

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. भुगतान संबंधित बैंक विवरणी 20.12.13 से 2013–14
2. वेतन भुगतान पंजी (1.1.96 से 31.12.05) सम्बद्ध शिक्षकों को पूर्व में भुगतान से संबंधित।
3. वेतन भुगतान पंजी (1.1.2006 से संबंधित)
4. चेक निर्गत पंजी 2013–14

परिशिष्ट "क" कंडिका –3 से संबंधित

कामेश्वर सिंह दरभंगा को बकाया मद में आय–व्यय विवरणी (शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मीयों के लिए)

वर्ष 2013–14

क्र0 सं0	आवंटन देने वाली संख्या का नाम	पत्रांक दिनांक	आवंटित राशि	व्यय राशि	अधिक व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्तियाँ
1	शिक्षा विभाग बिहार, पटना	52/31.10.12	124871640				दि0 31.3.14 को रोकड़ पुस्त में नियमित वेतन एवं बकाया मद की राशि एक ही रोकड़ पुस्त में संधारित था जिसका संवरण शेष की राशि 163258769.00 था। जिसमें बकाया मद की अवशेष राशि 71812183.00 भी शामिल था।
2	''	848/24.4.13	257929647	310989104.00	–	71812183.00	
		कुल –	382801287.00				

परिशिष्ट "ख" कंडिका –04 से संबंधित महँगाई भत्ता के रूप अधिक भुगतान राशि 2116.00 वसूली योग्य ।

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	कर्मी का नाम	अवधि	114 प्रति0 भुगतान राशि का प्रतिशत	113 प्रति0 अनुमान्य राशि का प्रतिशत	अन्तर की राशि	भुगतान की राशि	शेष राशि 80 प्रति0	अभ्युक्तियों
1	सं महा0 बाचो	श्री राम अदित्य राय मूल वे0 13500	1.1.09 से 30.6.09	15390.00	15255.00	135X6= 810.00	162.00	648.00	1.6.2013
2	सं महा0 पयरूरिक्या	श्री अवधेश्वर पाण्डेय 18700.00	तदैव	21340.00	21153.00	187X6= 1122.00	224.00	898.00	1.6.2013
3	सं महा0 छपड़ा	श्री विनोद कुमार पाण्डेय 18720.00	तदैव	21340.00	21153.00	187X6= 1122.00	224.00	898.00	1.6.2013
4	सं महा0 समौल	श्री रणजी कुमार पाण्डेय 10475.00	तदैव	11941.00	11837.00	104X6= 624.00	124.00	500.00	28.5.13
5	सं महा0 समौल	श्री विजय चन्द्रझा 12400.00	तदैव	14136.00	14012.00	104X6= 624.00	124.00	500.00	28.5.13
6	सं महा0 समौल	श्री अशोक कुमार आजाद 10475.00	तदैव	11941.00	11837.00	104X6= 1122.00	124.00	500.00	28.5.13

7	सं महा0 अड़ियास्थान	श्री उमेश सिंह 11575.00	तदैव	13195.00	13080.00	115X6= 690.00	138.00	552.00	22.7.13
8	''	श्री सुरेश पाण्डेय 11850.00	तदैव	13509.00	13391.00	118X6= 708.00	141.00	567.00	22.7.13
9	''	श्री राम नन्दन शर्मा 12400.00	तदैव	14136.00	14012.00	104X6= 624.00	124.00	500.00	27.7.13
10	सं महा0 महरैल	श्री विजय कुमार शर्मा 12950.00	तदैव	14763.00	14634.00	129X6= 744.00	148.00	596.00	27.9.13
11	सं महा0 अहित्याहथीन	श्री शैलेन्द्र शर्मा 12125.00	तदैव	13822.00	13701.00	121X6= 726.00	145.00	581.00	12.9.13
12	सं महा0 महरैल	श्री त्रिलोचन झा 11575.00	तदैव	13195.00	13080.00	115X6= 690.00	138.00	552.00	27.9.13
13	''	श्री नरेश झा 11575.00	तदैव	13195.00	13080.00	115X6= 690.00	138.00	552.00	27.9.13
14	''	श्री पवन कुमार झा 13500.00	तदैव	15390.00	15255.00	135X6= 810.00	162.00	648.00	24.10.13
						10608.00	2116.00	8492.00	

नोट :– विपत्र की अवधि के पंचम वेतनमान के भुगतान राशि की गणना में कम प्रतिशत की गणना की गई है जिसके कारण दावा राशि के विरूद्ध अधिक राशि की निकासी कर भुगतान किया गया हैं।

)

परिशिष्ट ''ग'' कंडिका –05 से संबंधित

महाविद्यालय के शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता के रूप में कुल अधिक भुगतान राशि – 43200.00 की विवरणी :–

क्र0 सं0	भुगतान पंजी पृष्ठ सं0	महाविद्यालय का नाम	शिक्षकों का नाम	अवधि/दर	भुगतान की गई राशि	अनुमान्य राशि	अन्तर की राशि	विपत्र की राशि/भुगतान तिथि
1	38	सं0 महा0 मेहियाछपड़ा	श्री नागेश्वर कुमार सिंह	1.1.06 से 31.12.09 218 माह @ 200	9600.00	4800.00	4800.00	355912.00 24.5.2013
2	38	''	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	''	9600.00	4800.00	4800.00	127366.00 24.5.13
3	39	''	श्री शिव दीप प्रसाद	''	9600.00	4800.00	4800.00	92948.00 24.5.13
4	39	''	श्री रवि प्रताप सिंह	''	9600.00	4800.00	4800.00	127366.00 24.5.13
5	40	''	श्री वीरेन्द्र झा	''	9600.00	4800.00	4800.00	62948.00 24.5.13
6	40	''	श्री संगीता कुमारी शर्मा	''	9600.00	4800.00	4800.00	58130.00 25.5.13
7	41	''	श्री शशि कान्त झा	''	9600.00	4800.00	4800.00	64830.00 24.5.13

8	41	"	श्री मधुरेन्द्र तिवारी	"	9600.00	4800.00	4800.00	60512.00 24.5.13
9	47	"	श्री मधुसुदन तिवारी	"	9600.00	4800.00	4800.00	43938.00 26.7.13

कुल– 43200.00

परिशिष्ट "घ" कंडिका –06 से संबंधित

मकान भाड़ा मद में अधिक भुगतान राशि रू0 2540.00 वसूली योग्य :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	कर्मी का नाम एवं मूल वेतन	अवधि	10 प्रति0 भुगतान की तिथि एवं प्रतिशत	75 प्रति0 अनुमान्य राशि एवं प्रतिशत	अन्तर की राशि	भुगतान की राशि 20 प्रति0 वसूली योग्य	अवशेष की राशि 80 प्रति0	अभ्युक्तियाँ
1	सं0 महा0 शोकहारा	श्री इन्द्रदेव झा 33860	1.1.10 से 31.3.10	10158.00	7618.00	2540.00	508.00	2032.00	विपत्र में पंचम वेतनमान् के भुगतान अवधि में 5 प्रति0 की राशि भुगतान दर्शाया गया हैं।
2	सं0 महा0 शोकहारा	श्री उदय कान्त मिश्र 33860	"	10158.00	7618.00	2540.00	508.00	2032.00	"
3	सं0 महा0 शोकहारा	श्री धनश्याम झा 338600	"	10158.00	7618.00	2540.00	508.00	2032.00	"
4	सं0 महा0 शोकहारा	श्री रूद्रान्द झा 33860	"	10158.00	7618.00	2540.00	508.00	2032.00	"
5	सं0 महा0 शोकहारा	श्री राज कुमार झा	"	10158.00	7618.00	2540.00	508.00	2032.00	"

		33860							
					कुल –	12700.00	2540.00	10160.00	

नोट :– (1) कॉलम – 08 की राशि 2540.00 की वसूली की जायगी इसे 1.1.06 से 31.3.10 तक की अवधि के लिए विपत्र का मात्र 20 प्रतिशत का भुगतान किया गया हैं।

(2) कॉलम – 09 :– 1.1.06 से 31.3.10 की अवधि में विपत्र की राशि 80 प्रतिशत भुगतान हेतु लंबित है, तत् पश्चात् भविष्य में भुगतान करते समय – 10,160.00 की कटौती कर की भुगतान योग्य होगा।

परिशिष्ट "ड़" कंडिका –09 से संबंधित

महाविद्यालय कर्मियों को अनुमान्य दर से अधिक मकान भाड़ा भत्ता के रूप में कुल राशि – 35718.00 की सूची :–

क्र0 सं0	भुगतान पंजी की सं0	महाविद्यालय का नाम	शिक्षकों का नाम एवं मूल वेतन	अवधि	भुगतान की राशि 10 प्रति0 की दर से	सही भुगतान राशि 7.5 प्रतिशत की दर से	अन्तर की राशि	विपत्र की राशि भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	65	सं महा0 काजीपुर, पटना	श्री सुरेश पाण्डेय वेतन 54590.00	1.4.10 से 31.7.10	21836.00	16377.00	5459.00	198436.00 / 20.11.13	विपत्र में पूर्व में मात्र 5 प्रति0 की दर से भुगतान किया गया हैं।
2	65	सं0 महा0 नौवतपुर, पटना	श्री सुरेश पाण्डेय 54590.00	18.5.09 से 31.3.10	15900.00	11925.00	3975.00	90555.00 20.11.13	"
3	65	तदैव	श्री पारस नाथ मिश्र 58980.00	1.1.06 से 31.3.10	17694.00	13471.00	4223.00	201824.00 24.5.13	"
4	65	तदैव	"	1.4.10 से 31.7.10	23769.00	17827.00	5942.00	171254.00 24.5.13	"
5	66	तदैव	श्री हरवेश शर्मा 7660 / सहायक	1.1.08 से 31.8.10	12494.00	9371.00	3123.00	106214.00 29.10.13	"

6	66	तदैव	श्री सुगम प्रसाद 7430	1.1.08 से 31.8.10	5990.00	4493.00	1497.00	48080.00 24.10.13	''
7	66	तदैव	श्री शर्वेश शर्मा 14600	1.1.08 से 31.8.10	5990.00	4493.00	1497.00	480080.00 24.10.13	''
8	44	सं0 महा0 संकट मोचन दरभंगा	श्री धैर्य नाथ चौधरी 33860	1.4.10 से 31.7.10	13646.00	10235.00	3411.00	73281.00 28.5.13	''
9	44	''	श्री योगेन्द्र झा 33290	1.4.10 से 31.7.10	13416.00	10062.00	3354.00	67107.00 25.5.13	''
10	29	सं0 महा0 छपड़ा	श्री सिद्धेश कुमार सिंह 31130/33100	1.4.10 से 31.7.10	12949.00	9712.00	3237.00	62948.00 18.6.13	''
						कुल –	35718.00		

परिशिष्ट "च" कंडिका –10 से संबंधित

क्र0	महाविद्यालय का नाम	कर्मी का नाम मूल वेतन	अवधि	भुगतान राशि 10 प्रति0	अनुमान्य राशि 7.5 प्रति0	अन्तर की राशि एवं भुगतान तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	सं महा0 शोकहारी	श्री चन्द्र भूषण तिवारी 36070	मार्च 2011 से मई 2011	10821	8116	2705 / 28.11.13	पूर्व की अवधि में विपत्र में 5 प्रति0 की दर से भुगतान दर्शाया गया है।
2	"	श्री इन्द्रदेव झा 33860	1.4.10 से 31.7.10	13544	10158	3386 / 28.11.13	"
3	"	"	1.3.2011 से 31.5.2011	10821	8116	2705 / 28.11.13	"
4	"	श्री उदय कान्त मिश्र 33860	"	13544 10821	10158 8116	3386 / 28.11.13 2705 / 28.11.13	"
5	"	श्री धनश्याम झा 33860	"	13544 10821	10158 8116	3386 / 28.11.13 2705 / 28.11.13	"
6	"	श्री रूद्रानन्द झा 33860	"	13544 10464	10158 7848	3386 / 28.11.13 2616 / 28.11.13	"
7	"	श्री राज कुमार झा 33860	"	13544 10821	10158 8116	3386 / 28.11.13 2705 / 28.11.13	"

8	"	श्री विनोदा नन्द झा, 32510	1.3.2011 से 31.5.11	9753	7338	2438 / 16.1.14	"
9	"	श्री सत्य नारायण 15310	1.9.10 से 28.2.11	9186	6840	2296 / 16.1.14	"
10	"	श्री मुकेश चन्द्र झा, 8110	तदैव	4908	3681	1227 / 16.1.14	"

कुल राशि – 41532.00

परिशिष्ट "छ" कंडिका –12 से संबंधित

पटना शहर (यू0 ए0) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मीयों को परिवहन भत्ता के रूप में 26200 का भुगतान की सूची :–

क्र0 सं0	महा0 विद्यालय का नाम भुगतान पंजी क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मीयों का नाम	अवधि	माह की संख्या	दर	भुगतान राशि	विपत्र की कुल राशि भुगतान तिथि
1	सं0 महा0 काजीपुर पटना A/R-27	श्रीमती कुमारी श्यामली वनर्जी वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.1.10 से 31.7.10	7 माह	1000.00	7000.00	212358 7.6.2013
2	"	श्री कुलानन्द झा वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.7.10 से 31.7.10	4 माह	1000.00	4000.00	98581.00 7.6.2013
3	"	श्री ओकार नाथ तिवारी वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.7.10 से 31.7.10	4 माह	1000.00	4000.00	98581.00 7.6.2013
4	"	श्री नवल किशोर सिंह वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.7.10 से 31.7.10	4 माह	1000.00	4000.00	191403.00 7.6.2013

)

5	"	श्री सत्यवान कुमार वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.7.10 से 31.7.10	4 माह	1000.00	4000.00	42591.00 7.6.2013
6	सं0 महा0 तरेतपाली पटना A/R-65	श्री सत्यवान कुमार वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.7.10 से 31.7.10	–	–	–	–
7	"	श्री सत्यवान कुमार वेतन 8000 से 13500 एवं अवंटित	1.1.10 से 31.3.10	–	–	–	–
8	"	श्री नरेश नन्दन राय वेतन – 4000 से 6000	1.1.2010 से 31.8.10	8 माह	4000.00	3200	123978.00 20.5.13

कुल – 26200.00

परिशिष्ट "ज" कंडिका –13 से संबंधित विवरणी

5859/96 से प्रभावित शिक्षकों को कुल रूपये 18919031.00 का भुगतान की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	महा0/विभाग का नाम	शिक्षकों का नाम	अवधि	भुगतान राशि	चेक संख्या एवं तिथि
1	स्नातकोत्तर विभाग	श्री पारस नाथ मिश्र प्रधानाचार्य	1.8.10 से 28.2.13	1462976.00 371075.00	चेक सं0– 252793 29.11.13 एवं 252794 258795 29.11.13
2	"	श्री मनोरंजन कुमार दूबे स्नाकोत्तर वि0	1.8.10 से 28.2.11 1.3.2011 से 28.2.13	133777.00 570520.00	"
3	"	डा0 सुरेश्वर झा	1.8.10 से 28.2.11 1.3.2011 से 28.2.13	350558.00 1383624.00	"
4	"	डा0 गंगेश ठाकुर	"	350558.00 1383624.00	"
5	"	डा0 शशि नाथ झा	"	341511.00 1374024.00	"
6	"	डा0 भगीरथ मिश्र	"	371075.00 1462976.00	"

7	"	डा0 उदिशष्ट नारायण झा	"	371075.00 1462976.00	"
8	"	डा0 विनाय तिवारी	"	371075.00 1462976.00	"
9	"	डा0 राम गोपाल पाण्डेय	"	406376.00 1570833.00	चेक सं0 252806 252807 एवं 252808 दि0 4.12.13
10	"	डा0 शक्ति नाथ झा	"	363053.00 1516976.00	"
11	"	डा0 धनेश्वर झा	"	363053.00 1474340.00	"
			कुल –	18919031.00	

पूर्ण विवरण		राशि
252806	4.12.13	1977209.00
252807	"	1880029.00
252808	"	1837393.00
252793	29.11.13	8383900.00
252794	"	990500.00
252795	"	3850000.00
	रू0 –	18919031.00

<u>परिशिष्ट "झ" कंडिका – 14 से संबंधित</u>

<u>विभिन्न महा0 में कार्यरत कुल –31 अस्थाई शिक्षकों को भुगतान की गई राशि 10777859.00 की विवरणी ।</u>

क्र0 सं0	महा0 का नाम	शिक्षकों का नाम	अवधि	राशि	भुगतान तिथि
1	सं0 महा0 चाँदपुरा	श्री नरेन्द्र ना0 झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 28.2.11 1.3.11 से 31.5.11	107882.00 68243.00 133770.00 60395.00	दि0– 16.12.2013
2	सं महा0 महरैल मधुबनी	श्री गुलाब चन्द्र झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	107667.00 288873.00	16.12.2013
3	सं0 महा0 महरैल मधुबनी	श्री खेलानाथ झा	"	107667.00 245725.00	16.12.2013
4	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री राज कुमार झा	1.3.11 से 31.5.11	70179.00	16.12.2013
5	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री उदय कान्त मिश्रा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 28.2.11 1.3.11 से 31.5.11	101363.00 74296.00 150565.00 70179.00	16.12.2013
6	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री घन श्याम झा	"	101363.00 74296.00 150565.00	16.12.2013

				70179.00	
7	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री रूद्रा नन्द झा	"	101363.00 69115.00 137508.00 64431.00	16.12.2013
8	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री चन्द्र भूषण त्रिवेदी	"	101363.00 74296.00 150565.00 70179.00	16.12.2013
9	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री इन्द्र देव झा	"	101363.00 74296.00 150565.00 70179.00	16.12.2013
10	सं0 महा0 शोकहारा बेगूसराय	श्री राज कुमार झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	101363.00 74296.00	16.12.2013
11	सं0 महा0 रोसरा समस्तीपुर	श्री उमा नाथ राम	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.5.11	120339.00 268552.00	16.12.2013
12	सं0 महा0 वनगाँव सहरसा	श्री बलराम झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	113041.00 256934.00	16.12.2013
13	सं0 महा0 बनगाँव सहरास	श्री हरि मोहन झा	"	113041.00 256934.00	16.12.2013
14	"	श्री रघुनन्दन झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	113041.00 256934.00	16.12.2013

15	सं0 महा0 वसावनकला बक्सर	श्री वशिष्ट नारायण ओझा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.3.11 से 31.5.11	108808.00 65705.00 61815.00	16.12.2013
16	,,	श्री हरि नारायण पाण्डेय	1.8.10 से 28.2.11 1.3.11 से 31.5.11 1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	234210.00 61815.00 108808.00 65705.00	16.12.2013
17	,,	श्री सुरेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी	,,	247059.00 67563.00 94053.00 72937.00	16.12.2013
18	,,	श्री छविनाथ त्रिपाठी	,,	247059.00 67563.00 94053.00 72937.00	16.12.2013
19	,,	श्री वशिष्ट नारायण ओझा	1.8.10 से 28.2.11	137616.00	16.12.2013
20	सं0 महा0 संकटमोचन दरभंगा	श्रीमती शीला कुमारी	1.3.11 से 31.5.1 1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 25.2.11	67017.00 112710.00 71880.00 248040.00	6.12.13
21	,,	श्री नरेन्द्र नाथ झा	,,	108187.00 237948.00 67673.00	6.12.13

				63417.00	
22	"	श्री राकेश कुमार झा	1.3.08 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 30.11.10	41302.00 43832.00 93692.00	6.12.13
23	"	श्री दयानन्द झा	1.3.11 से 31.5.11 1.8.10 से 28.2.11 1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	63417.00 237948.00 108187.00 67763.00	6.12.13
24	"	श्री इन्द्रा नन्द झा	"	60567.00 231478.00 101884.00 64371.00	6.12.13
25	सं0 महा0 वैरगनियों सीतामढ़ी	श्री सुरेश मिश्र	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	107711.00 64850.00	6.12.13
26	"	श्री नीलाम्बर झा	"	107711.00 64850.00	6.12.13
27	"	श्री प्रमोद कुमार झा	"	107064.00 61829.00	6.12.13
28	"	श्री जय शंकर ठाकुर	"	135349.00 75674.00	6.12.13
29	सं0 महा0 चाँदपुरा मधुबनी	श्री शिव चन्द्र झा	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 28.2.11 1.3.11 से 31.5.11	107882.00 65715.00 133770.00 60395.00	6.12.13

30	ऐ महा वसौवकला बक्सर	श्री दया शंकर तिवारी	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10 1.8.10 से 28.2.11 1.3.11 से 31.5.11	92937.00 94053.00 247059.00 67473.00	6.12.13
31	''	श्री नारायण उपाध्याय	''	72937.00 94053.00 247059.00 67473.00	6.12.13
			कुल योग –	10777768.00	

लगातार 'झ' परिशिष्ट

निम्नांकित 29 शिक्षकों का महा0 चयन समिति की अनुशंसा तथा शासी निकाय से सम्पुष्टि अभिषद के दि0 15.12.12 तथा 1.11.2013 के प्रस्ताव के आलोक में स्थायीकारण/नियमित/सम्पुष्टिकरण की तिथि निम्नवत् हैं।

क्र0 सं0	शिक्षकों का नाम	महा0 का नाम	स्थाईकरण/सम्पुष्टि करण की तिथि
1	श्री बलराम झा ज्योतिष	गो0 ल0 म0 सं0 महा0 वनगाँव सहरसा	25.9.1981
2	श्री हरि मोहन झा हिन्दी	तदैव	26.1.1983
3	श्री रधुनन्दन झा व्याकरण	तदैव	1.4.1980
4	श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी	सरस्वती विलास सं0 महा0 शोकहार वरौनी	1.4.1980
5	डा0 धनश्याम झा साहित्य	तदैव	1.4.1980
6	डा0 इन्द्रदेव झा इतिहास	तदैव	1.4.1980
7	श्री उदय कान्त मिश्र वेद	तदैव	1.4.1981
8	श्री रूद्र नन्द झा व्याकरण	तदैव	1.7.1981
9	श्री राज कुमार झा अर्थशास्त्र	तदैव	1.4.1981
10	श्री राकेश कुमार झा ज्योतिष	सं0 महा0 संकट मोचन धाम दरभंगा	23.11.2003
11	श्री इन्द्र नन्द झा व्याकरण	तदैव	1.1.1983
12	श्री दया नन्द झा राजनीति शास्त्र	तदैव	1.12.1981
13	श्री नरेन्द्र नारायण झा साहित्य	तदैव	1.4.1981
14	श्रीमती शीला कुमारी साहित्य	तदैव	17.1.1982

15	श्री सुरेश मिश्र साहित्य	गुरूकुल से महा0 वैरगनिया सीतामढ़ी	1.4.1982
16	श्री निलाम्बर झा सहित्य	तदैव	1.4.1982
17	श्री जय शंकर ठाकुर, वेद	तदैव	27.8.1992
18	श्री प्रमोद कुमार झा राजनीति शास्त्र	तदैव	1.4.1985
19	श्री दयाशंकर तिवारी ए एम0 ए0 प्रा0	सं0 महा0 वसॉव कला बक्सर	22.2.1981
20	श्री छविनाथ त्रिपाठी व्याकरण	तदैव	1.4.1980
21	श्री वशिष्ट नारायण ओझा रा0 शा0 प्र0	तदैव	1.4.1980
22	श्री नारायण उपाध्याय , साहित्य	तदैव	1.4.1974
23	श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी साहित्य	तदैव	1.4.1980
24	श्री हरि नारायण पाण्डेय, हिन्दी	तदैव	1.4.1980
25	श्री खेला नाथ झा, अंग्रेजी	सं0 महा0 महरैल	15.12.1983
26	श्री गुलाब चन्द्र मिश्र, साहित्य	तदैव	27.8.1992
27	श्री उमा नाथ राय व्याकरण	सं0 महा0 रोसड़ा समस्तीपुर	1.4.1980
28	श्री नरेन्द्र कुमार झा , अंग्रेजी	सं0 महा0 चाँदपुरा मधुबनी	1.4.1980
29	श्री शिव चन्द्र झा, व्याकारण	तदैव	1.4.1981

परिशिष्ट "ञ" कंडिका – 15 से संबंधित

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	शिक्षकों का नाम पद–विषय	योगदान तिथि	अहर्त्ता / वर्ष / प्रतिशत	पत्रांक वि0 मि0 द्वारा सम्पुष्टि तिथि	अवधि	नियमित / बकाया वेतन	भुगतान राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	सं0 महा0 शोकहारा बरौनी	स्व0 बैधनाथ मिश्र भास्कर, साहित्य	9.1.1979	–	–	–	–	–	–	–
2	"	श्री कामेश्वर पाण्डेय	1.3.1978	–	–	–	–	–	–	–
3	सं0 महा0 अकबरपुर पटना	श्री रामानुज शर्मा मिमोसा	6.1.79	–	–	–	–	–	–	–
4	सं0 महा0 बैरगनियाँ सीमामढ़ी	श्री महानन्द ठाकुर	27.3.92 प्रधनाचार्य	MA-1991 522/800,65.2% Ph.d-2003	–	–	नियमित एवं बकाया वेतन भुगतान	–	–	प्रधानाचार्य के पद पर कॉलेज सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति की अनुसंश प्राप्त
5	सं0 महाविद्यालय गंजहारा	श्री सचिदानन्द झा ज्योतिष	7.7.2000	MA-492/800,61.5% 1980-Ph.d	–	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	98850.00 55767.00 नियमित वेतन	98850.00 55767.00	18.6.13	इनकों नियमित वेतन तथा बकाया भुगतान हो रहा हैं। कालेज सेवा आयोग से अनुसंशित
6	"	श्री दयाकान्त झा साहित्य	16.11.77	MA-420/800,52.5% 1981	–	–	बकाया एवं नियमित वेतन चालू हैं।	383826 206549.00	18.6.13	दि0 27.8.04 से प्रधानाचार्य को कॉलेज सेवा आयोग से अनुशंसित कार्यरत ।
7	"	श्री सुधीर कुमार झा दर्शन	25.8.2000	MA-555/800,68.7% Ph.d-1990	–	–	–	86285 17809	18.6.13	कॉलेज सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति की अनुशंसा एवं कार्यरत
8	"	श्री रविनाथ झा स0 एम0 ए0	25.3.2000	MA-487/800,60.8% Ph.d-1993	–	–	–	109990 66977.00	18.6.13	तदैव

9	सं0 महा अन्धराकाड़ी मधुबनी	श्री अवधेश कुमार चौधरी "साहित्य"	31.12.87	MA-396/800,49.5% Ph.d-1994	—	—	—	91881.00 53599.00	10.7.13	वि0 नि0 से नियमित करण स्थाईकरण एवं नियमित करण, सम्पुष्टि प्रक्रिया में वि0 वि0 से0
10	तदैव	श्री शुभचन्द्र मिश्र "सहित्य"	15.1.80	MA-423/800,50.8% 1977	—	—	—	—	—	"
11	सं0 महा0 छतौनी मधुबनी	श्री लम्बोदर प्रतिहस्त व्याकरण	1.12.80	MA-260/400,65% 1970	बकाया एवं नियमित वेतन चालू हैं।	—	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	98809.00 39378.00	17.12.13	"
12	"	श्री जावेश्वर प्रतिहस्त "व्याकरण"	27.8.77	MA-409/800,61.5% Ph.d-1980	—	—	"	107468.00 572191.00	17.12.13	"
13	"	श्री शशि कान्त झा 'ज्योतिष'	26.6.77	MA-395/800,49.3% 1997	—	—	"	107468.00 572191.00	17.12.13	"
14	"	श्री सुधाकर झा "दर्शन"	1.4.81	MA-396/800,49.3% 1978	—	—	"	107468.00 572191.00	17.12.13	"
15	सं0 महा0 रोसरा	श्री शशिधर झा "ज्योतिष"	9.2.79	MA-1977 372/800,47% Ph.d-1990	—	—	"	108855.00 68968.00	20.12.13	"
16	"	श्री राम विलास झा सहित्य	10.1.87	—	—	—	—	—	—	-
17	"	श्री रमेश प्रसाद राय 'दर्शन'	28.2.88	MA-557/320,69.6%	—	—	—	—	—	-
18	सं0 महा0 बोधगया	श्री अर्जून मिश्र "सहित्य"	1.8.75	MA-485/800,60.6%	बकाया एवं नियमित वेतन	वि0 वि0 पत्रांक 8358/25.8.10 द्वारा 23.6.76 से स्थाई	1.1.06 से 31.3.10 1.4.10 से 31.7.10	107600.00 65705.00	12.2.14	नियमित एवं बकाया वेतन प्राप्त।

19	सं0 महा0 एकहरि मधुबनी	श्रीमती अनिता कुमारी "व्याकरण"	16.8.2000	MA-1997 574/800,71% Ph.d-2012	–	–	–	–	–	वित्त रहित कार्यरत भुगतान लाबत हैं।
20	"	श्री धनश्याम प्र0 "ज्योतिष"	17.8.2000	MA-1995 480/800,60% Ph.d-2010	–	–	–	–	–	"

कुल–3699825.00